

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
रिट - सी संख्या - 1961 वर्ष 2026

महमूद आलम

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ सचिव विदेश मंत्रालय नई दिल्ली और अन्य के माध्यम से

....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : एस. मलिक ई. अशतर रिजवी, कुमार लक्ष्य, मोहम्मद ज़मीर
अब्बास

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ

माननीय न्यायमूर्ति मनजीव शुक्ला

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद ज़मीर अब्बास और प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण पांडे की सहायता से भारत के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और उप सॉलिसिटर जनरल श्री एस.बी. पांडे को सुना गया।

2. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता ने फाइल की है जिसमें दूसरी बातों के साथ-साथ नीचे दी गई मुख्य राहत की भी मांग की गई है:-

"(i) न्याय के हित में, उत्प्रेषण के तौर पर एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिससे इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 में दिए गए विरोधी पक्ष संख्या 2 / रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, लखनऊ द्वारा 02.01.2023 को पास किए गए विवादित आदेश/कारण बताओ सूचना को रद्द किया जा सके।

(ii.) परमादेश के तौर पर एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिससे विरोधी पक्षों को न्याय के हित में याचिकाकर्ता का पासपोर्ट नंबर W7448305 जारी करने का आदेश और निर्देश दिया जा सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का निवेदन है कि इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने **पवन कुमार राजभर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 2 अन्य** ; रिट-सी संख्या 41540 of 2023 : न्यूट्रल साइटेशन संख्या-2024:AHC:9963-DB में जो फैसला सुनाया था, उसे ध्यान में रखते हुए मामले का निपटारा किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि उनका पासपोर्ट आपराधिक मुकदमा अपराध संख्या 93 of 2022 अन्तर्गत धारा 323, 506, 427 भारतीय दंड संहिता के आधार पर ज़ब्त कर लिया गया था, जिसका ज़िक्र कारण बताओ सूचना में किया गया था, लेकिन उस आपराधिक मुकदमे में 24.01.2023 के फैसले से उन्हें बरी कर दिया गया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान याचिकाकर्ता के विरुद्ध दो आपराधिक मुकदमों की ओर भी आकर्षित किया है जिनमें मुकदमा अपराध संख्या 498/2020 अन्तर्गत धारा 308, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पुलिस स्टेशन - देवा, जिला - बाराबंकी में पंजीकृत है, जिसमें दिनांक 27.03.2024 के निर्णय द्वारा बरी कर दिया गया है और मुकदमा अपराध संख्या 0369/2022 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 406, 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पुलिस स्टेशन - थाना - बाराबंकी में पंजीकृत है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 18, बाराबंकी के समक्ष लंबित है।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील का जवाब प्रतिवादी की ओर से पेश हुए भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल श्री एसबी पांडे ने दिया है। उनकी दलील यह है कि **पवन कुमार राजभर (उपर्युक्त)** के फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रीता वर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य** ; याचिका(ओं) विशेष अपील की अनुमति (सी) संख्या 7481/2024 दिनांक 20.09.2024 के निर्णय और आदेश के ज़रिए बदल दिया है ।

6. यह ध्यान देने वाली बात है कि **रीता वर्मा (उपर्युक्त)** में, **इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पवन कुमार राजभर (उपर्युक्त)** के फैसले को दोहराया था । हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जापन संख्या VI/401/1/5/2019, तारीख 10.10.2019 के संबंध में पूरी स्थिति की जांच करने के बाद, नीचे दिए गए निर्देश दिए हैं-

"

4. जापन में साफ़ शब्दों के बावजूद उच्च न्यायालय ने इस आदेश से यह नतीजा निकाला कि कार्यालय जापन कानूनी स्थिति के खिलाफ है और रिट याचिका खारिज कर दी।

5. हमने अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए श्री मलक मनीष भट्ट और भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री केएम. नटराज को सुना है। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री केएम. नटराज ने कहा है कि उच्च न्यायालय का यह नज़रिया कि कार्यालय जापन कानूनी बातों के खिलाफ है और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कानून से समर्थित नहीं है और यह भारत संघ का भी दृष्टिकोण नहीं है।
विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कार्यालय ज्ञापन के आधार पर अपील करने
वाले की आवेदन पर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

6. इस मामले को देखते हुए, हमारे लिए यह निर्देश देना काफी है कि
अधिकारियों को 10.10.2019 के कार्यालय ज्ञापन या इस विषय से जुड़े किसी
भी दूसरे कार्यालय ज्ञापन के आधार पर पासपोर्ट का नवीनीकरण के लिए
आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया जाए भले ही उच्च न्यायालय ने रिट
याचिका (C) नंबर 6450/2024, दिनांक 28.02.2024 में जो आदेश दिया है
उसके बावजूद, समुचित आवेदन देने पर, उसका जल्द से जल्द निपटारा किया
जाएगा।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर दिए गए निर्णय के आलोक में हमारा मत है कि
अधिकारियों को 08.01.2025 के कार्यालय ज्ञापन या किसी दूसरे बाद के कार्यालय ज्ञापन के
आधार पर नया पासपोर्ट जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करना चाहिए
क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रीता वर्मा (उपर्युक्त)** में इस मुद्दे पर आखिरकार विचार
किया है। **रीता वर्मा (उपर्युक्त)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून इस
मामले में लागू होगा, इसलिए, हम अधिकारियों को इस मामले में कानून के अनुसार तेज़ी से
काम करने का निर्देश देते हैं।

8. उपरोक्त टिप्पणियों / निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

17 मार्च, 2026

लोकेश कुमार

(न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला)

(न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया
जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।